भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2563

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

असम के लिए समग्र शिक्षा के तहत आवंटित निधियाँ

†2563. **मोहम्मद रकीबुल हुसैनः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान असम के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत आवंटित किसी निधि में कटौती की गई है या वह अप्रयुक्त रही है, और यदि हां तो ऐसी निधियों के आवंटन, जारी किए जाने और उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधि जारी करने में हुई किसी देरी ने उपचारात्मक शिक्षण और अवसंरचना के सहयोग को प्रभावित किया है; और

(ग) सरकार द्वारा निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय से केंद्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है। समग्र शिक्षा के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपायों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न घटकों हेतु मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत पिछले पाँच वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक असम राज्य द्वारा राज्य अंश सहित निधियों का आवंटन जारी किए गए केंद्रीय अंश और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय विमुक्ति	राज्य के हिस्से सहित व्यय
1	2020-21	197702.88	159429.09	191024.36
2	2021-22	197702.88	156156.40	180161.40
3	2022-23	251460.08	208086.22	216611.68
4	2023-24	260407.29	181046.93	231395.71
5	2024-25	288347.22	202677.34	270080.52

समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि व्यय की गति के अनुरूप, आनुपातिक राज्य हिस्से की प्राप्ति, लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं, बकाया अग्रिम विवरण, अद्यतित व्यय विवरण, पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा किए गए उपयोग प्रमाणपत्र और वित्त मंत्रालय और योजना के वित्तीय प्रबंधन और खरीद नियमावली द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित जानकारी देने के आधार पर जारी की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्र सरकार के हिस्से का आवंटन राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडवी) के अनुसार किया जाता है। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन मंत्रालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के साथ परामर्श से किया जाता है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और देश के ज़्यादातर स्कूल और शिक्षक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ज़मीनी स्तर पर ऐसी योजनाओं की अवधारणा बनाने, लागू करने और उन्हें पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। एनईपी, 2020 में सभी स्तरों और पहलुओं पर शिक्षा की व्यापक और गहन रूपरेखा तय की गई है।

इस विभाग ने प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, बजटीय उपलब्धियों और डेटा हैंडलिंग) नामक एक व्यापक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली आरंभ की है। यह प्रणाली शिक्षा मंत्रालय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदित परिव्यय और योजना से जुड़ी दूसरी जानकारी देखने के साथ-साथ निर्मुक्ति और व्यय की निगरानी करने में सक्षम करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुपालन और समीक्षा बैठक की जाती हैं, ताकि निधियों के समय पर उपयोग और योजना के सुचारू कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

*****